GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 06, 2013

In exercise of the powers conferred by section 4B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendment in this department's Notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/11K dated 31.3.2006, namely:-

AMENDMENT

In the said notification after the existing proviso (6), appearing below the table, the following new proviso shall be added, namely:-

> "(7) for the motor vehicles falling under the sub-clauses (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of clause 2 of the table and plying exclusively for tourism purposes within the limits of Ranthambhor National Park, Sawai Madhopur, the Special Road Tax shall be payable at the rate of 75% of the rate as mentioned against each in column number 2 of the table."

[F.6(179)Trans/Tax/Hq/13] 11 M
By order of the Governor,

(Pawan Arora)
Deputy Secretary to Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 6 मार्च, 2013

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11के, दिनांक 31.3.06 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी के नीचे आये विद्यमान परन्तुक (6) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(7) सारणी के खण्ड 2 के उप-खण्ड (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) के अधीन आने वाले और रणथम्भौर नेशनल पार्क, सवाईमाधोपुर की सीमाओं के भीतर पर्यटन प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से चलाये जाने वाले मोटर यानों के लिए, विशेष सड़क कर, सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित दर के 75 प्रतिशत की दर पर संदेय होगा।"

[एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/13] ।। एस
राज्यपाल के आदेश से,

पवन अरोड़ा,
शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 06, 2013

In exercise of the powers conferred by section 4B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendment in this department's Notification No. F.6(257)Pari/Tax/Hqrs/11/6-Q dated 14.11.2011, namely:-

Amendment

In proviso (v) appearing below the "table", of the said notification for the existing expression "Rs. 25000/- (twenty five thousand) per month for one Motor Vehicle", the expression "Rs. 12500/- (twelve thousand five hundred) per month for one Motor Vehicle plying up to 300 kilometers per day and Rs. 25000/- (twenty five thousand) per month for one Motor Vehicle plying more than 300 Kilometers per day" shall be substituted.

[F.6(179)Trans/Tax/Hq/13] 6 R
By order of the Governor,

(Pawan Arora)
Deputy Secretary to Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 6 मार्च, 2013

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(257)परि/टैक्स/एचक्यू/11/6-क्यू, दिनांक 14.11.2011 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की ''सारणी'' के नीचे आये परन्तुक (V) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''एक मोटर यान के लिए रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्रतिदिन 300 किलोमीटर तक चलाये जाने वाले एक मोटर यान के लिए प्रतिमास रुपये 12500/- (बारह हजार पांच सौ) और प्रतिदिन 300 किलोमीटर से अधिक चलाये जाने वाले एक मोटर यान के लिए प्रतिमास रुपये 25000/- (पच्चीस हजार)'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/13] 6 आर
राज्यपाल के आदेश से,

पवन अरोड़ा,
शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 06, 2013

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification number F.6(179)Trans/Tax/Hqrs/09/Part II-2 dated 09.03.2011, namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, for the existing expression "two years", the expression "three years" shall be substituted.

[F.6(179)Trans/Tax/Hq/13]
By order of the Governor,

(Pawan Arora)
Deputy Secretary to Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 6 मार्च, 2013

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/09/पार्ट-II-2, दिनांक 09.03.2011 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित की ज़ायेगी।

[एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/13]
राज्यपाल के आदेश से,

पवन अरोड़ा,
शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 06, 2013

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, four wheeled motor vehicles plying on non-temporary permits with seating capacity upto 8 excluding driver and registered in the name of a Motor Driving School and exclusively used for the purpose of imparting motor driving training, from Special Road Tax payable under section 4B of the said Act.

[F.6(179)Trans/Tax/Hq/13]
By order of the Governor,

(Pawan Arora)
Deputy Secretary to Government

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 6 मार्च, 2013

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 8 तक की सीट क्षमता वाले गैर-अस्थायी परमिटों पर चलाये जाने वाले और मोटर चालन स्कूल के नाम से रजिस्ट्रीकृत और मोटर चालन प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त किये जाने वाले चौपहिया मोटर यानों को, उक्त अधिनियम की धारा 4ख के अधीन संदेय विशेष सड़क कर के संदाय से, इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/13]
राज्यपाल के आदेश से,

पवन अरोड़ा,
शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 06, 2013

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government, being of the opinion that is expedient in the public interest so to do, hereby exempts the new stage carriage passenger vehicles, purchased on and after 01.04.2013 and registered up to 31.03.2014 and plying exclusively on rural routes and other routes (as classified under the provisions of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990) from the payment of special road tax payable under section 4-B of the said Act for a period of three years from the date of their registration.

[F.6(179)Trans/Tax/Hq/13]
By order of the Governor,

(Pawan Arora)
Deputy Secretary to Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 6 मार्च, 2013

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, 01.04.2013 को और उसके पश्चात् क्रय किये गये और 31.03.2014 तक रजिस्ट्रीकृत और ग्रामीण मार्गों तथा अन्य मार्गों (राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के उपबंधों के अधीन यथा-वर्गीकृत) पर अनन्य रूप से चलाये जाने वाले नये मंजिली यात्री यानों को उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन संदेय विशेष सड़क कर के संदाय से, इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.6(179)ट्रांस/टैक्स/एचक्यू/13]
राज्यपाल के आदेश से,

पवन अरोड़ा,
शासन उप सचिव